# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –33/2016 (आव.व.अधि)

राज्य सरकार जरिये अमित शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक, कोटा
–प्रार्थी

*बनाम*

श्री रूपसिंह पुत्र श्री करण सिंह, निवासी 337–ए, तलवण्डी कोटा
मैसर्स नामा रेस्टोरेन्ट, 337–ए, तलवण्डी, कोटा ।
–अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए**
**आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955**

## *निर्णय*

**दिनांक– 19.11.2019**

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अमित शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी, कोटा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि दिनांक 04.03.2016 को अवैध घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक की रोकथाम हेतु गठित जांच दल (श्री अशोक सांगवा–जिला रसद अधिकारी एवं श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, श्री अमित शर्मा– प्रवर्तन निरीक्षक) के द्वारा तलवण्डी स्थित मैसर्स नामा रेस्टोरेन्ट, 337–ए, तलवण्डी कोटा की आकस्मिक जांच की गई । वक्त मौका रेस्टोरेन्ट पर मौजूद श्री रूपसिंह पुत्र करण सिंह उपस्थित मिल जिन्होंने स्वयं को रेस्टोरेन्ट का कार्यकर्ता होना जाहिर किया । श्री नामा की उपस्थिति में रेस्टोरेन्ट की जांच की गई । जांच के दौरान घरेलू गैस का सिलेण्डर का उपयोग ग्राहकों के लिए भोजन बनाकर कीमतन बिक्री की जा रही थी । रेस्टोरेन्ट परिसर में तलाशी के दौरान पाये गये 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत जरिये फर्द जब्ती मौके पर ही जब्त किया गया, जिनका विवरण फर्द जब्ती में किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार निम्न है–

| S.N. | S.R.No. | Co. | T.W. | G.W | N.W. Gas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | 9832205 | IOC | 15.8 Kg | 24.5 Kg | 8-7 Kg |

उक्त जब्तशुदा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को मौके पर ही मैसर्स श्री गैस एजेन्सी कोटा के कर्मचारी श्री नन्द सिंह पुत्र दशरथ सिंह को सुपुर्दगी में दिये गये । सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया । इस प्रकार श्री रूपसिंह पुत्र श्री करण सिंह निवासी 337–ए, तलवण्डी, कोटा मैसर्स नामा रेस्टोरेन्ट 337–ए, तलवण्डी कोटा द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (बी), 4(1) (ए), 6 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है ।

Scanned by CamScanner

अतः उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 01 घरेलू गैस सिलेण्डर्स मय उनमें भण्डारित एल.पी.जी. को राजसात करने के आदेश फरमावें । साथ ही जप्तशुदा गैस सिलेण्डर्स से एल.पी.जी.लीक हो सकने के कारण गैस सिलेण्डर्स का अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 बी के अधीन नोटिस जारी किया गया । नोटिस अदम तामिल प्राप्त । तामिली रिपोर्ट में थानाधिकारी जवाहर नगर द्वारा रिपोर्ट अंकित की है कि नोटिस में दिये पते पर मालूमात की तो बताया कि पूर्व में यहां पर बोडी लगाकर नामा रेस्टोरेंट के नाम से एक फास्टफूड सेंटर संचालित था जो पता नहीं अब कहां रहते है । इस प्रकार निर्धारित पते पर अप्रार्थी के नहीं मिलने से प्रकरण के निस्तारण हेतु अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । पेरोकार रसद की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दिनांक 04.03.2016 को अवैध घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु गठित जांच दल के द्वारा तलवण्डी स्थित नामा रेस्टोरेन्ट में मौजूद कार्यकर्ता श्री रूपसिंह पुत्र श्री करण सिंह निवासी 337–ए, तलवण्डी, कोटा उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को रेस्टोरेन्ट का कार्यकर्ता होना जाहिर किया । श्री रूपसिंह की उपस्थिति में रेस्टोरेन्ट की जांच की गई । जांच के दौरान 01 घरेलू गैस का सिलेण्डर का उपयोग ग्राहकों के लिए भोजन बनाकर कीमतन बिक्री किया जाने पर राजहित में जब्त किये गये ।

4. इस प्रकार श्री रूपसिंह पुत्र श्री करण सिंह निवासी 337–ए, तलवण्डी कोटा । मैसर्स नामा रेस्टोरेन्ट 337–ए, तलवण्डी कोटा द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1), (ए),(बी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

5. अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत सीज्ड माल 01 (एक) घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात (Confiscation) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

6. निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner